FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)
Order for provisional registration

1	PAN							
2	Name	ABYAS8741C						
2a	N	SHREE SHYAM JAN KALYAN SEVA SANSTHA						
	Nature of Activities	Charitable						
2Ь	Address							
	Flat/Door/Building	VPO BHAMBHEWA						
	Name of premises/Building/Village	NEAR KHATU SHYAM MANDIR						
	Road/Street/Post Office	Bhambhewa B.O						
	Area/Locality	Bhambhewa(1)						
	Town/City/District	JHAJJAR						
	State	Haryana						
	Country	INDIA						
	Pin Code/Zip Code	124021						
	Document Identification Number	ABYAS8741CE2023101						
	Application Number	410291380141023						
	Unique Registration Number	ABYAS8741CE20231						
	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional registration is being granted	02-Item (A) of sub-clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A						
	Date of provisional registration	21-10-2023						
	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally registered	From AY 2024-25 to AY 2026- 2027						
	Order for provisional registration:							
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional registration with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.							
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.							
f in for	This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequent ound that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is ound that the applicant has obtained the provisional registration by fraud or insrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition rescribed in the Income Tax Act, 1961.							
T	he registration is granted subject to the followin	g conditions:-						
1	ile regionale							

10

- a. Any income demied from property held under trust, wholly or in part for charitable or religious purposes, shall not be applied, other than for the objects of the trust or institution.
- b. The trust or institution shall not have income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives.
- c. Separate books of account shall be maintained by such trust or institution in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.
- d. The trust or institution shall not apply any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.
- e. The trust or institution established for charitable purpose created or established after the commencement of this Act, shall not apply any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.
- f. No non-genuine activity shall be carried out by the trust or institution.
- g. No such activity shall be carried on by the trust or institution which is not in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.
- h. The trust or institution shall comply with the requirement of any other law, as referred to in item (B) of sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section
- i. The form for registration in Form No 10A has been duly filled in by providing all the information or documents and no false or incorrect information or documents have been provided.
- j. The trust or institution shall apply for registration within 6 months of commencement of the activities or at least 6 months prior to the expiry of period of provisional registration, whichever is earlier.
- k. Where the trust or institution has adopted or undertaken modifications of the objects which do not conform to the conditions of registration, the trust or institution shall make an application in the prescribed form and manner to the Principal Commissioner or Commissioner, for registration of the trust or institution, within a period of thirty days from the date of the said adoption or modification. Principal Commissioner of Income

Name and Designation of the Registration Granting Authority

Tax/ Commissioner of Income Tax

(Digitally signed)



Department of Industries & Commerce, Haryana

Form-III

"Certificate of Registration to be issued under Section 9(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act,

(See rule 5 and rule 6)

Certificate of Registration of Society

I hereby certify that a Society bearing the Registration Number and name as undermentioned has been registered this [26] day [Dec] month [2022] year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code				Year Of Registration					Registration Number				
Н	R	0	1	5		2	0	2	2		0	0	0	7	6
Name Of the Society					Registered Office Address										
SHREE SHYAM JAN KALYAN SEVA SANSTHA						VILLAGE BHAMBHEWA									

Issued under my hand at [Jhajjar] this [26] day of (month)[Dec] (Year)[2022] having Unique Identification Number - 2000156026





Issuing Authority, District Registrar, Jhajjar, Haryana.

SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED:

- · One Flat one vote.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 1000.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employement in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting 40%, 2nd meeting 25% and 3rd meeting -15% (see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalities & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था का आदर्श 'संगम ज्ञापन'

- सोसाइटी का नाम : श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था

 भैमो नं0 2022-08-003157

 दिनांक 13.06.2022
- सोसाइटी का रिजस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगा:

C/o जयवीर S/o रामकुवार, 69-ए, गांव भमबेवा, जिला झञ्जर

- अधिकारिता: सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र में कार्य करेगी
- सोसाइटी के लक्ष्य तथा उददेश्य:
 - समाज कल्याण से संबंधित क्रियाक्लापों का गांव में आयोजन करना व सामज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना व सामाजिक अवसरों पर जन सुविधाओं के लिए सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था करना ।
 - धार्मिक स्थलों पर मुफ्त भोजन (भण्डारा), चिकित्साा शिवरी का आयोजन करना और निशुल्क दवाईयां देना ।
 - 3. समय-समय पर विशेष शुभ अवसरों पर व त्यांहारों आदि पर धर्म कोर्तन, भजन, उपदेश, सत्संग, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य इत्यादि करवाना । धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए धार्मिक जुलुस, झाकियां, प्रभात-फेरियों का अयोजन करना ।
 - पुजारियों व साधु सन्तों की सेवा व समय समय पर भण्डारे का आयोजन करना
 - समाज सुधार के कार्यक्रमों जैसे वृक्षारोपण, परिवार कल्याण स्वच्छता, प्रौढ शिक्षा आदि को बढावा देना।
 - गरीब व जरूरतमन्द स्त्रियों के घरेलू जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा तथा साहित्य का प्रवन्ध करना।
 - नशा उन्नमृलन एवं एडस की रोकधाम के लिए कार्यशालाओं एवं संमीनार का आयोजन करना एवं प्रवाओं को जागृत करना ।

 समाज में बढ़ते अन्याय के खिलाफ समाज में नागुरू केतें लाना ।

9. एडस और एच.आई.वी. के बारे में जागुरूव के आयोजन करना व रोकथाम के बारे में जागुरूव

 आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण तकनीकि एवं गैर तकनीकि संबंधित शिक्षण संस्थाएं स्थापित

करना । पूर्व होत्र महासंचिव

सम्तः। कोषाध्यक्ष

137VIO

प्रधान

- स्त्रियों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं संजगार केन्द्र चलाना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाना ।
- अपंग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना।
- गरीब लड्कियों की शादी करवाना।
- नि:शुल्क शिक्षा और सिलाई केन्द्र की स्थापना करना।
- वाल विकास कार्यक्रम चलाना ।
- 16. भूमिरात पानी के अधिक दोहन के कारण पानी को बचाने के लिए वर्षा के पानी को वाटर हावेंरिटंग सिस्टम लगाकर पानी का बचाव करना ।
- कम्यूनिटी सैटर चलाना व वृद्धाश्रम खोलना ।
- राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा मैत्री को बढावा देना ।
- 19. धूम्रपान, शराब तथा मादक द्रव्य उपयोग के विरुद्ध निषेध के हेतु कार्य करना तथा लोगों का आन्दोलन प्रारम्भ करना ।
- 20. सामाजिक बुराई जैसे कि मादा भूण हत्या, दहंज, शादी आदि के सामाजिक उत्सवों पर फिजूल खर्च, निर्णय इत्यादि लेने में महिलाओं को सशकत करने में जागरूकता मृजित करना तथा सम्बोधित करना ।
- 21. विशेष रूप से जल संरक्षण, स्वच्छतता, कम लागत आवास, कृषि तथा पशुपालन तथा इंजीनियरिंग रुत्रांत के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रोद्योगिको (लागत कमी, उत्पादकता सुधारने इत्यादि) के लिए तकनोक तथा प्रोद्योगिकों के लागूकरण सहित ग्रामीण विकास की प्रगति की गति बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना ।
- 22. पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तथा पिछली लापरवाही के कारण विकृत प्राकृतिक साधनों के पुनरूद्वार के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना

23. ऊर्जा की अक्षय स्त्रोत वाली प्रणाली सहित उचित प्रोद्योधिकी को प्रोत्साहन देना तथा विस्तार करना ।

24. एसं कार्यक्रम आरम्भ करना जिसमें विज्ञान के या प्र महिलाओं के जीवन, कार्य स्थिति को सुधार तथा नियोजन के लिए अवसरों में मुख्य भूमिन्द्र हो

25. सूचना तथा संचार प्रद्योगिको का प्रयोग करने सिद्धन पारदर्शी रीति में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में लगाना

26. आर्थिक तथा सामाजिक परियोजनाओं के संघटन मृ<mark>ल्यांकन</mark> को प्रारम्भ करना

को प्रारम्भ करना

महासचिव

स्रस्त्री कोषाध्यक्ष



- 27. ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करना जो सोसाइटी के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से योजना में हिस्सेदार शामिल करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले तथा महिलाओं के आय स्तरों को बढ़ाना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार करना, प्रारम्भ गतिविधियों का लागूकरण-तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
- 28. समाज के अलाभ वर्ग को संगठित करना तथा सरकारो/गैर सरकारो कार्यक्रमों विधिक उपबन्धों इन्यादि के अधीन उनके कार्यक्रम विषयों नथा सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी के उनके स्तर को बहाने के लिए तथा सहकारी तथा समूह कार्यवाही को उन्नत करते हुए उनकी सौदाकारी शक्ति को भी बहाने के लिए कदम उठाना ।
- 29. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 में अनार्विष्ट निदेशों के अनुसार सभी औपचारिक नथा गैर औपचारिक शीक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करना ।
- खंल तथा स्वास्थ्य ध्यान गतिविधियों को बढ़ान के लिए कार्य करना ।
- 31. दान या अनुदान या अंशदान के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी अभिकरणों, धर्मार्थ न्यासों से या सार्वजितिक तथा निजी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेते हुए निधियां लेना या सम्पति अर्जित करना । सोसाइटों के वर्तमान तथा भविष्य को निधियां, सम्पत्तियां, परिसम्पति तथा सभी अन्य साधनों का उपरोक्त यथा कथित सोसाइटी के किसी या सभी प्रयोजनों व उद्देश्यों के लिए तथा सच्चाई व अहिंसा के आदर्शों के प्रोत्साहन में सभी अन्य समरूप गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जाएगा ।
- 32. गरीव व वृहं लोगों की हर तरह से सहायता करना।
- 33. ब्लंड बैंक का प्रोविजन करना ।
- 34. वॉडी चैंक-अप कैम्प लगाना ।
- 35. आंखों का चैक-अप कीम लगाना ।
- 36. जरूरमंदों को फी दबाई दिलवाना ।
- 37. अपंग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करन्
- 38. गरीब लड्कियों की शादी करवाना।
- 39. नि:शुल्क शिक्षा और सिलाई केन्द्र की संगूपना
- 40. बाल विकास कार्यक्रम चलाना ।
- कम्यूनिटी सैटर चलाना व वृद्धाश्रम खोलना

14वी

महासचिव

भुभाग कोषाध्यक्ष शर्ते

- 1) सोसायटी की सम्पत्ति तथा आय समिति के हित के लिए खर्च की जायंगी। इसमें से किसी भी सोसायटी की राशि या सम्पत्ति का कोई भी भाग बोनस या डिविडैड के रूप में नहीं दिया जायेगा।
- 2) सभी सदस्य अवैतिनक होगें। कोई भी सदस्य वेतन नहीं लेगा। कार्यकारिणी या आमसभा का कोई भी सदस्य जो सिमित के लिए अपनी जेव से खर्च करेगा वह राशि सोसायटी को आय मैं से सदस्य को दो जायेगी। सोसायटी के लिए किसी सदस्य से ली हुई गिश का ब्याज तथा मकान का किराया जो सिमित के प्रयोग के लिए लिया गया हो, सिमित की आय मैं से देंगे।
- 3) यदि सोसायटों को कोई लाभ होगा या आमदनी होगी वह राशि सोसायटी के हित के लिए खर्च की जायेगी।
- 4) किसी कारणवश सोसायटी के बंद होने की स्थिति में सोसायटी की जायदाद से देनदारीयां पुरी करने के बाद बची हुई चल व अचल संपत्ती को जिला उपायुक्त या किसी समानांतर उद्देश्य वाली संस्था को साँप दी जाएगी।

6017.01

ापवी <u>१</u> प्रधान महासचिव



असत। कोषाध्यक्ष

मामाइटी के मदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उपविधियां सीपी जाती है वे निम्न अनुसार

	पिता/पति का जाम	पता	आय्	व्यवसाय	पद हस्ताक्षर
arrain	ध्रा सम क्वार	गांव भंभेवा, जिला झरजर	38	समाज संवक	प्रधान किम्बी र
			26	समाज	- July - महासचिव July
: ::याः -	श्री सम क्वार	गांव भंभेवा, जिला झन्जर	20	संवक	Telmiaa J
447)	श्री जयबीर	गांव भंभेवा,	39	समाज	कोषाध्यक्ष जिस्त
18		जिला झरजर		संबक	
यान् कृषार	श्री क्षण्याम सिंह	गांव जहाजगढ़. जिला झञ्जर	27	समाज संबक	महस्य Drum
	31 070	The state of the s			The state of the s
149/2	<u>~_07</u>	्री अर्थ। ४ महासचिव			्राभात / कोषाध्यक्ष

प्रधान

पिता/पति -174 पता का नाम श्री गोलू 1073, मैन गली, व्यापन 37 वारी वस्ती, संवक जॉन्टी, दिल्ली श्री महेन्द्र सिंह गांव पहरावर, समाज र्जनल जिला रोहतक संवक समाज गांव जहाजगढ़, 26 श्री मदान सिंह 'दलावर संवक जिला झञ्जर

गवाही :

ं उपसंख्य सभी हस्याक्षरकर्ताओं को जाति ंक्षण है।	तीर से जानता हूँ तथा सभी ने मेरे सामने	हस्ताक्षर
हरतीक :	गाम व पता । पर्माप्त (अंपर	at of Societies
ENTER STREET	नाम व पता 2. सामित् है। इन्हर्प भाव अभ्यापा िका अक्टा	of Industries & deli
THESTE ATTESTE	महासचिव TAL:	अज्ञात। कोषाध्यक्ष
ATTESTE SANDAR PUR SANDAR PUR ROHIAK	BLIC	-



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Dated: 27-11-2023

NOTE - THIS LETTER IS ONLY AN APPROVAL FOR REGISTRATION OF THE ENTITIES FOR UNDERTAKING CSR ACTIVITIES.

To,

SHREE SHYAM JAN KALYAN SEVA SANSTHA , VPO BHAMBHEWA,NEAR KHATU SHYAM MANDIR,BHAMBHEWA,JHAJJAR,HR07,HR,124021

PAN: ABYAS8741C

Subject: In Reference to Registration of Entities for undertaking CSR activities

Reference: Your application dated 27-11-2023 (SRN-F84182500)

Sir/Madam,

With reference to the above, it is informed that the entity has been registered for undertaking CSR activities and the Registration number is CSR00062694. Please refer the registration number for any further communication.



Registrar of Companies

ROC-DELHI

Note: The corresponding form has been approved and this letter has been digitally signed through a system generated digital signature.



Registration Certificate

This is to certify that

SHREE SHYAM JAN KALYAN SEVA SANSTHA

69-A, VILLAGE BHAMBEWA (1), JHAJJAR, HARYANA - 124021, INDIA.

has been assessed by RAPL and found to comply with the requirements of

ISO 9001 : 2015 **Quality Management Systems**

For the following activities:

PROVIDING SERVICE OF SOCIAL ACTIVITIES.

Late Number: E2023105214 estification: 27/10/2023

contance on or before: 26/10/2024 Jameillance on or before: 26/10/2025 Certification Valid Until: 26/10/2026







Director (Certification) Royal Assessments Pvt. Ltd.

623 A, Tower-B, iThum, Plot No. A - 40, Sector - 62, Noida 201301, India www.royalapl.com, info@royalapl.com Phone: +91 120 4251329

This Certificate can be verified at www royalapi com

This Certificate remains the property of Royal Assessments Private Limited. Must be returned on request or if certificate is withdrawn. Validity of this certificate is subject to successful surveillance audits. RAPL is accredited by EGAC, EGAC is member of International Accreditation Forum (IAF) and signatory of MLA

